संख्या-18/2019-726/58-2019-213/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च, 2019**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में विद्युतदेय, जलकर एवं चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-158.32 लाख की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-234/बजट/2018-19, दिनांक 26.03.2019 एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर0ई0-842/ई-1-यू0ओ0-375/दस-2019, दिनांक 29.03.2019 तथा पृष्ठांकन सं0-683/58-2019-213/2018, दिनांक 30.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षणकेन्द्र-01-वेतन मद में हो रही बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401-001-03-केन्द्रीय निदेशालय-49-चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि रू0-22.74 लाख, लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय-09-विद्युत देय-10-जलकर/जल प्रभार-49-चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि रू0-69.21 लाख, लेखाशीर्षक 2406-02-112-03-उद्यान-09-विद्युत देय-10-जलकर/जल प्रभार हेतु धनराशि रू0-57.88 लाख तथा लेखाशीर्षक 2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-09-विद्युत देय-49-चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि रू0-8.49 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-158.32 लाख (रूपये-एक करोड़ अटठावन लाख बत्तीस हजार) मात्र को निम्नलिखिति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	पुनर्विनियोग के माध्यम से अपेक्षित धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-केन्द्रीय निदेशालय	49-चिकित्सा व्यय	22.74
योग		**22.74**
2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय	09-विद्युत देय	32.49
	10-जलकर/जल प्रभार	2.52
	49-चिकित्सा व्यय	34.20
योग		**69.21**
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सावर्जनिक उद्यान-03-उद्यान	09-विद्युत देय	50.77
	10-जलकर/जल प्रभार	7.11
योग		**57.88**
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र	09-विद्युत देय	5.00
	49-चिकित्सा व्यय	3.49
योग		**8.49**
कुल योग		**158.32**

(रूपये-एक करोड़ अटठावन लाख बत्तीस हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) लोक सभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसे निदेशक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(10) शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-01-वेतन मद में हो रही बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2401-001-03-केन्द्रीय निदेशालय-49-चिकित्सा व्यय लेखाशीर्षक 2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय-09-विद्युत देय-10-जलकर/जलप्रभार-49-चिकित्सा व्यय लेखाशीर्षक 2406-02-112-03-उद्यान-09-विद्युत देय-10-जलकर/जलप्रभार तथा लेखाशीर्षक 2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-09-विद्युत देय-49-चिकित्सा व्यय हेतु उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-18/2019-726(1)/58-2019, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in